IV 184/18

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

भारत

INDIA

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BS 088039

न्यास–पत्र

हम कि श्रीमती सिमिरती देवी पत्नी श्री रामलाल निवासिनी गायत्रीगनर लालगंज, पोस्ट–कूड़ाघाट, तहसील–सदर, जिला–गोरखपुर की हूँ। हम मुकिरा समाज के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक विकास हेतु निरन्तर कार्य करती रहती हूँ तथा हम मूकिरा के मन–मस्तिष्क में अपने व्यक्तिगत कार्यों के साथ–साथ राष्ट्र एवं समाज हित का चिन्तन बना रहता है। हम मुकिरा की हार्दिक इच्छा है कि जन सामन्य का सर्वांगीण विकास कर समाज में सुख–शान्ति, आपसी सद्भाव व विश्वास, सदाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आदर्श नागरिक गुणों की स्थापना हों। समाज के साधनहीन व्यक्तियो के जीवन की मूलभूत आवयकताएँ भोजन, शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य व आवास की व्यवस्था हो तथा शिक्षित बेरोजगारों को उनकी योग्यता के अनुरूप तकनीकी एवं व्यावहारिक ज्ञान प्रदान कर उन्हें रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जाय।

सिमिरती

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BS 088040

इसके अतिरिक्त गरीब व पिछड़े वर्ग के मेधावी व प्रतिभा सम्पन्न छात्रों को अपने देश में अथवा देश के बाहर उच्च शिक्षा हेतु सहायता उपलब्ध कराया जाय। जनहित के उक्त कार्यों को संचालित करने तथा उससे लोगों को अधिक से अधिक लाभ प्रदान करने के लिए विभिन्न विधाओं में समाज को शिक्षित व प्रशिक्षित किये जाने की आवश्यकता को देखते हुए विभिन्न संस्थाओं एवं समितियों का गठन किया जाना आवश्यक पाकर इसकी सम्पूर्ण व्यवस्था के लिए हम मुकिरा द्वारा एक कल्याणकारी न्यास/ट्रस्ट की स्थापना की जा रही है। हम मुकिरा द्वारा अपनी उक्त हार्दिक इच्छा की पूर्ति के लिए तथा इस हेतु आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था के बावत रू0 10,000/– रू0 (दस हजार रूपये) का एक न्यास कोष स्थापित किया गया है और आगे भी इस न्यास कोष में विभिन्न उपायों से धन व चल–अचल सम्पत्ति की व्यवस्था मैं करती रहूँगी। हम मुकिरा अपने द्वारा स्थापित उक्त न्यास की प्रबन्ध व्यवस्था एवं प्रशासन के बावत एक न्यास–पत्र को भी निष्पादित कर रही हूँ, जिसकी व्यवस्था निम्न रूपेण से की जायेगी –

1. यह कि हम मुकिरा द्वारा स्थापित न्यास का नाम "**श्रीमती एजूकेशनल ट्रस्ट**" होगा जिसे इस न्यास पत्र में आगें "न्यास" अथवा " ट्रस्ट" शब्द से सम्बोधित किया गया है।
2. यह कि हम मुकिरा द्वारा स्थापित उक्त ट्रस्ट का **कार्यालय गायत्रीनगर लालगंज, तहसील–सदर, जनपद–गौरखपुर** में स्थित होगा। उक्त ट्रस्ट के कार्य को सुचारू रूप से सम्पादित करने तथा इसके उद्देश्यों की सुगम प्राप्ति के बावत इसके अन्य कार्यालयों की भी स्थापना की जायेगी और उनके कार्यालयों के पते पर ट्रस्ट मजकूर

श्रीमती

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BS 088041

द्वारा गठित की जाने वाली संस्थाओं व समितियों का पंजीकरण सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत कराया जा सकेगा। ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारतवर्ष होगा तथा आवश्यकता पड़ने पर भारत के बाहर विदेशों में भी विधि पूर्ण कार्यों का संचालन किया जा सकेगा

3. यह कि हम मुकिरा ट्रस्ट मजकूर के संस्थापक व मुख्य ट्रस्टी होंगे तथा ट्रस्ट के प्रधान प्रबन्धक भी कहे जायेंगे। हम मुकिरा द्वारा ट्रस्ट के संचालन व व्यवस्था के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों जो ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुसार ट्रस्ट के हित में ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्य करने को सहमत है, को ट्रस्ट का ट्रस्टी नामित करती हूँ। इस प्रकार नामित व्यक्तियों को ट्रस्ट का ट्रस्टी कहा जायेगा। जिनकी कुल संख्या 3 से कम तथा 11 से अधिक नहीं होगी। भविष्य में हम मुकिरा द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की सुगम प्राप्ति हेतु अन्य ट्रस्टियों की भी नियुक्ति की जा सकेगी। हम मुकिरा द्वारा नामित ट्रस्टियों तथा मुख्य ट्रस्टी को संयुक्त रूप से न्यास मण्डल/ट्रस्ट मण्डल कहा जायेगा। ट्रस्ट की स्थापना के समय हम मुकिरा द्वारा ट्रस्टी के रूप में नामित व्यक्तियों का विवरण निम्नलिखित है:-

(i) श्री विरेन्द्र कुमार पुत्र श्री राम लाल निवासी मोहल्ला गायत्री नगर, लालगंज, पोस्ट-कुड़ाघाट जिला-गोरखपुर।

(ii) श्री रामलाल पुत्र श्री जवाहिर निवासी मोहल्ला गायत्री नगर, लालगंज, पोस्ट-कुड़ाघाट जिला-गोरखपुर।

(iii) श्री अरविन्द कुमार पुत्र श्री रामलाल निवासी मोहल्ला गायत्री नगर, लालगंज, पोस्ट-कुड़ाघाट जिला-गोरखपुर।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BS 088042

(iv) श्री दुर्जन प्रसाद पुत्र स्व० रामलगन निवासी ग्राम व पोस्ट राजधानी जिला गोरखपुर।

(v) श्री जवाहिर पुत्र स्व० सनहू प्रसाद निवासी मोहल्ला गायत्री नगर, लालगंज, पोस्ट–कुआघाट जिला–गोरखपुर।

4. यह कि हम मुकिर द्वारा "**चानमती एजूकेशनल ट्रस्ट**" के नाम से जिस ट्रस्ट की स्थापना की जा रही है उसके स्थापना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है:–

(i) समाज के आर्थिक, सामाजिक, सौंस्कृतिक, शैक्षिक विकास हेतु संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन हेतु कार्य करना।

(ii) शिक्षा एवं जीवनोपयोगी ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना और आम जनता में चेतना जागृत कर उन्हें शिक्षित एवं रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देकर निर्भर बनाना तथा प्रतिभा सम्पन्न मेधावी छात्रों को देश–विदेश में उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक सहयोग करना।

(iii) नवयुवक, नव युवतियों व छात्र–छात्राओं को रचनात्मक दिशा देना एवं उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्रार्थमिक जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट (10+2) व स्नातक–स्नातकोत्तर स्तर के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना। समाज/स्थानीय आवश्कताओं को देखते हुए आमदनी के श्रोत हेतु विद्यालय के कम्पाउन्ड में दुकान व आवास का निर्माण कराना।

(iv) शिक्षा प्रचार/प्रसार/उन्नयन तथा देश के किसी क्षेत्र में सामान्य शिक्षा/तकनीकी–गैरतकनीकी शिक्षा/विधि० शिक्षा० /शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय एवं शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना व संचालन करना।

मिमिती

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BS 088043

(v) वर्तमान समय में विज्ञान के जनजीवन का आवश्यक एवं अनिवार्य अंग होने की स्थिति को देखते हुए तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को सूचना, विज्ञान एवं कम्प्यूटर तकनीकी पर आधारित होने के कारण उससे सम्बन्धित ज्ञान को जिज्ञासुओं, प्रशिक्षार्थियों को अत्याधुनिक टेक्नालॉजी के माध्यम से उपलब्ध कराना तथा मेडिकल कालेज, इन्जीनियरिंग कालेज, मैनेजमेन्ट इन्स्टीच्यूट, आई0टी0आई0 व कम्प्यूटर ट्रेनिंग इनस्टीच्यूट की स्थापना कर उसका संचालन करना।

(vi) प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया, मास मीडिया तथा ब्राडकास्टिंग के जरिये जनसामान्य को प्रेरित एवं प्रशिक्षित कर जातिपाति, छुआछूत, ऊँच–नीच, धर्म और सम्प्रदाय से पूर्णतया अलग समाज के सामुदायिक विकास के कार्यों को सम्पन्न कर लोगों में परस्पर भाई–चारा, साम्प्रदायिक तालमेल बनाये रखने से सम्बन्धित कार्य सम्पादित करना।

(vii) ट्रस्ट के किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिये सर्वे कार्य, डाटा, कलेक्शन, जागरूकता तथा प्रशिक्षण हेतु किसी प्रकार का किट, पोस्टर, बैनर, श्रव्य दृश्य कैसेट, सामग्री, डाक्यूमेन्टरी एवं नुक्कड़–नाटक किट तैयार करना जो विभिन्न कार्यक्रमों अथवा क्षेत्रों में प्रयुक्त होता हो, जिससे न्याय के उद्देश्य की पूर्ति होती है।

(viii) समाज के सामुदायिक विकास को परस्पर भाईचारा, साम्प्रदायिक ताल–मेल, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय एकता, सरकारी सम्पत्ति के प्रति प्रेम, राष्ट्रीय धरोहर के रक्षा, प्राकृतिक चीजों एवं जीवों की रक्षा, प्रकृति के प्रति प्रेम, राष्ट्रीय कानून के प्रति वफादारी तथा समाज के प्रति जिम्मेदारियों के लिए युवकों तथा महिलाओं को जागरूक करना तथा उन्हें प्रशिक्षित करना।

श्रीमती

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BS 088044

(ix) लिंग भेद, जाति–पाँति, छुआ–छूत, धर्म और सम्प्रदाय, ऊँच–नीच की भावना को समाप्त करने के लिए प्रशिक्षण/लिट्रेचर आदि की व्यवस्था करना।

(x) शैक्षणिक क्षेत्र में विभिन्न कक्षाओं के कमजोर विद्यार्थियों तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसा–मेडिकल, इन्जीनियरिंग, पॉलीटेक्निक, बैंक, पी०सी०एस०, आई०ए०एस० में प्रवेश की तैयारी के लिए कोचिंग सेण्टरों की व्यवस्था करना।

(xi) युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने क लिए विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक ट्रेनिंग जैसे–सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पेन्टिंग, स्क्रीनिंग पेन्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक, वायरमैन, डीजल एवं मोटर मकैनिक, रेडियों एवं टी०वी० ट्रेनींग, टाइपिंग, शार्ट हैण्ड, कम्प्यूटर, फाइन आर्ट, संगीत इसके अतिरिक्त फल संरक्षण, कुकिंग/बेकरी एवं मशरूम उद्योग प्रशिक्षण डाइटिंग प्रशिक्षण आदि जैसे केन्द्रों की स्थापना/व्यवस्था तथा प्रबन्धन करना। आवश्यकतानुसार उनके लिए प्रशिक्षण कक्ष, पुस्तकालय, अध्ययन कक्ष, छात्रावास, भोजन, वस्त्र व दवा को उपलब्ध कराना।

(xii) खाद्य प्रसंस्करण तथा अन्य फल संरक्षण का प्रशिक्षण देना।

(xiii) युवाओं के लिए विभिन्न प्रकार के अन्य उपयोगी प्रशिक्षण जैसे – हैण्डी क्राफ्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कुकिंग, कला, निबन्ध, व्याख्यान तथा खेल–कूद आदि का आयोजन, प्रतियोगिता तथा बिजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत करना भी ट्रस्ट का उद्देश्य है।

xiv) समाज कल्याण हेतु विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं परियोजनाओं को क्रियान्वित करना जैसे–गूँगे–बहरे, अंधों, अपंग एवं मानसिक रूप से कमजोर बच्चों, युवाओं तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग/गरीब बच्चों, निराश्रित अनाथ बच्चों एवं

अभिरती

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BS 088045

युवाओं के लिए विद्यालय छात्रावास एवं भोजन वस्त्र की निःशुल्क व्यवस्था करना एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाना आदि। बिना लाभ–हानि के अन्य छात्रावासों का निर्माण एवं उन्हें आत्मनिर्भर करना आदि।

(xv) वृद्धों के लिए विश्राम केन्द्र अथवा पुनर्वास केन्द्र की स्थापना करना तथा महिला संरक्षण गृह/विधवा पुनर्वास केन्द्र की स्थापना करना तथा उन्हे सरकारी सहायता दिलाना।

(xvi) सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देना तथा अवश्यकतानुसार परामर्श केन्द्र, बारात घर, धर्मशाला, सुलभ शौचालय, चिकित्सा घर, पुस्तकालय, खेल का मैदान, योग प्रशिक्षण केन्द्र, आंगनबाड़ी, बालवाड़ी, ड्रामा स्टेज, प्रशिक्षण हाल एवं अन्य प्रशिक्षण संस्था की स्थापना एवं प्रबन्ध करना।

(xvii) सरकारी/अर्द्ध सरकारी/प्राईवेट व खाली पड़ी ज़मीन पर आर्थिक महत्व वाले पौधे को बड़े पैमाने पर उगाना, वृक्षारोपण, औषधियों एवं जड़ी बूटियों वाले पौधे का उत्पादन तथा अन्य आर्थिक महत्व वाले पौधे का रोपण करना।

(xviii) राष्ट्रीय एकता शिविर के द्वारा विशेषकर संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील राज्यों के लोगों में राष्ट्रीय एकता एवं समर्पण की भावना का विकास करना।

(xix) विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों हेतु आधुनिकतम सुविधा के साथ प्रशिक्षण हाल की स्थापना करना जिसमें विभिन्न प्रकार के सरकारी एवं गैर सरकारी प्रशिक्षण सम्पादित हो सके, जैस – यूनीसेफ, वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाईजेशन, नेहरू युवा केन्द्र, समाज कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आयोजित विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का आयोजन करना।

श्रीमती

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BS 088046

(xx) घरेलू ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देने तथा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए डेयरी उद्योग, रेशम उद्योग, मधुमक्खी पालन, मुर्गीपालन, बत्तख पालन तथा इनसे सम्बन्धित बीमारियों की जानकारी, रोक–थाम, टीकाकरण के लिये युवाओं को प्रेरित /जागरूक/प्रशिक्षित एवं साधन सम्पन्न करना।

(xxi) **चानमती एजूकेशनल ट्रस्ट** के उद्देश्यों के पूर्ति के लिए आवश्यक कार्य करना।

(xxii) विभिन्न प्रकार के खेल जैसे योग, जिम्नास्टिक, जूड़ो–कराटे, कबड्डी, क्रिकेट, फुटबाल व हाकी तथा अन्य शहरी एवं पारम्परिक ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देना तथा प्रत्येक स्तर पर उनका प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिता कराना।

(xxiii) परिवार कल्याण के क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण, परिवार नियोजन, टीकाकरण के क्षेत्र में जागरूकता/प्रशिक्षण, दवा वितरण की सुविधा के साथ–साथ परिवार कल्याण परामर्श केन्द्र की स्थापना करना तथा रक्तदान शिविर का आयोजन कराना।

(xxiv) एड्स, कैंसर, टी0बी0 कोढ़, मलेरिया, पोलियो, हेप्पेटाइटिस व इन्सेफेलाइटिस जैसे रोगों तथा अनय नई महामारी एवं संक्रामक रोगों की जानकारी/रोकथाम/नियंत्रण/जागरूकता/उपचार की व्यवस्था एवं सुविधा उपलब्ध कराना तथा जन सामान्य के लाभ हेतु डेण्टल कॉलेज/होमियोपैथिक, आयुर्वेदिक एवं एलोपैथिक मेडिकल कालेज व अन्य चिकित्सकीय/पैरा मेडिकल महाविद्यालयों, प्रशिक्षण केन्द्रो, चिकित्सालय, नर्सिंग होम व पालीक्लीनिक की स्थापना करना।

(xxv) सरकार की सहायता से गॉवों एंव शहरों के विकास हेतु पेयजल, शौचालय, नाली, सड़क

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BS 088047

निर्माण, खड़ंजा, पिच, पार्क शिविर एवं भवन निर्माण की व्यवस्था करना, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्राप्त अल्प लागत से आवास बनाकर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को उपलब्ध कराना।

(xxvi) बंजर एवं ऊसर भूमि, गैर पारम्परिक ऊर्जा श्रोत, वातावरणीय संरक्षण, जल एवं अन्य प्राकृतिक सम्पदा के संरक्षण को विकसित करने के लिए योजनाओं को लागू करना।

(xxvii) प्राकृतिक आपदा जैसा–हैजा, प्लेग, भुखमरी, बाढ़, आग, सूखा, अकाल, चक्रवात, भूकम्प, दुर्घटना आदि किसी भी प्रकार की आपदा की दशा में प्रभावित लोगों की सहायता करना तथा प्रभावित गाँवों, व्यक्तियों एवं पशुओं का सर्वेक्षण एवं पहचान करना तथा उन्हें सहायता प्रदान करना।

(xxviii) पंचायती राज एवं उपभोक्ता संरक्षण के बारे में जानकारी तथा अनय सामान्य ज्ञान एवं कानूनी जागरूकता के लिए काउन्सिलिंग केन्द्रों की स्थापना एवं प्रबन्धन करना ताकि महिलाओं तथा समाज के गरीब एवं पिछड़े लोगों को कानूनी सहायता की जा सके।

(xxix) गरीब लोगों व महिलाओं के कानूनी, सामाजिक, आर्थिक या चिकित्सकीय सुविधा अथवा सहायता के लिए उपाय करना।

(xxx) किसी एन०जी०ओ० द्वारा दिये गये कार्यों को भी न्यास के माध्यम से सम्पादित करना तथा अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी तंत्र अथवा एन०जी०ओ०, एसोसियेशन, ट्रस्ट को आर्थिक सहायता देना उनके क्रिया कलापों में सहयोग देना जिनके उद्देश्य इस संस्था से मिलते हों।

सेमिश्ती

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BS 088048

(xxxi)कृषि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नये–नये वैज्ञानिक तकनीकी का उपयोग करना तथा नये–नये शोधित बीजों को उगाने तथा उनसे संबंधित बीमारियों की जानकारी देने अथवा दवा तथा सुरक्षा के लिए आम लोगों तथा किसानों का शिविर लगाकर उन्हें प्रेरित/जागरूक एवं प्रशिक्षित करना। तिलहन, दलहन तथा बागवानी के विकास हेतु नये वैज्ञानिक तरीकों का प्रचार–प्रसार करना तथा स्थायी कृषि कार्यक्रमों द्वारा कृषकों को प्रशिक्षित एवं लाभान्वित करना।

(xxxii) वर्मी कम्पोस्ट एवं शाक–सब्जी उद्योगों को बढ़ावा देना तथा भूमि को रासायनिक उर्वरक से होने वाले हानि से लोगो अवगत कराना।

(xxxiii) सरकारी तथा गैर सरकारी/लोगों/संस्थाओं/तंत्रों/कम्पनी/दुकानों से आर्थिक सहायता जिसमें विभिन्न प्राकर के डोनेशन, ग्रान्ट, गिफ्ट, चल एवं अचल सम्पत्ति सम्मिलित है, लेकर संस्था के उद्देश्य की पूर्ति करना।

(xxxiv) संस्था के उद्देश्य की प्राप्ति के लिये इसके शाखा या इसके क्रिया–कलापों को आवश्यकतानुसार अन्य जिला/प्रदेशों व देशो में स्थापित करना या फैलाना।

(xxxv) सरकारी अर्द्धसरकारी अथवा गैर सरकारी बैंकों से संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ऋण या सहातया प्रदान करना।

प्रमिति

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BS 088049

(xxxvi) (क) विद्यालय की पंजीकृत ट्रस्ट का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

(ख) विद्यालय के प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित सदस्य होंगे।

(ग) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(घ) संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय का सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली/कौसिंल फार इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।

(ङ) संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

(च) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुगन्य सेवा निवृत्त लाभ उपलब्ध करायें जायेंगें।

(छ) राज्य सरकार द्वारा समय-मय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।

(ज) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।

(झ) बिना शासन के पूर्वानुमोदन के कोई परिवर्तन/परिवर्द्धन संशोधन नहीं किया जायेगा।

भीमि रती

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BS 088050

5. ट्रस्ट मण्डल के अधिकार एवं कर्तव्य:-

(i) समान उद्देश्य की अन्य संस्थाओं, ट्रस्टों से सहयोग एवं सम्पर्क स्थापित करना तथा राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त करना।

(ii) ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति हेतु तथा इसके विभिन्न इकाइयों को सुचारू व्यवस्था के लिए अन्य संस्थाओं की स्थापना करना तथा इसके लिए समितियों एवं उप समितियों का गठन करना।

(iii) ट्रस्ट के अधीन संस्थाओं एवं समितियों के सुचारू संचालन हेतु समिति पंजीकरण अधिनियम के अनुसार उनकी अलग नियमावली व उप नियमों को बनाना।

(iv) ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं व समितियों की सदस्यता के लिए विभिन्न प्राविधानों को लिखित रूप में तैयार करना तथा इसके लिए धन की व्यवस्था हेतु सदस्यता शुल्क, दान, चन्दा इत्यादि प्राप्त करना तथा उनकी प्रबन्ध इकाईयां गठित करना।

(v) ट्रस्ट के अधीन चलने वाली संस्थाओं को संचालित करने एवं उनकी व्यवस्था के लिए लाभार्थियों से शुल्क प्राप्त करना तथा मेधावी छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना।

(vi) ट्रस्ट की सम्पत्ति की देखभाल करना तथा ट्रस्ट की सम्पत्ति को बढ़ाने के लिए सतत् प्रयास करना ।

(vii) ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थओं व गठित समितियों में अनियमितता की स्थिति उत्पन्न

सेमिति

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BS 088051

होने तथा किन्ही आकस्मित परिस्थितियों में उसके संचालन के बावत गठित समिति को भंग कर उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था ट्रस्ट में निहित करना।

(viii) ट्रस्ट के अधीन स्थापित एवं संचालित संस्थाओं, विद्यालयों, शिक्षण केन्द्रों, चिकित्सालयों, शोध केन्द्रो, गौशालाओं व अन्य समस्त समितियों के लिए आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति करना और इस प्रकार नियुक्त कर्मचारियों के लिए आचरण एवं व्यवहार नियमावली तैयार करना उनके हित में अन्य कार्यों को करना।

(ix) ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ट्रस्ट के लिये वह सभी कार्य करना जो ट्रस्ट के हितों के लिये आवश्यक हो तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो।

(xi) ट्रस्ट से सम्बन्धित आवश्यक विवरण प्रस्तुत कर ट्रस्ट का पंजीकरण आयकर अधिनियम के अन्तर्गत करना उक्त अधिनियम की धारा–80 जी0जी0 के अन्तर्गत छूट प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रस्ताव प्रेषित करना।

(xii) ट्रस्ट द्वारा स्थापित की जाने वाली शैक्षिक/तकनीकी/गैर तकनीकी विद्यालयों एवं इन्स्टीच्यूटस की मान्यता व सम्बद्धता के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्राधिकारी/परिनियमावली द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों को पूर्ण कर समस्त आवश्यक कार्य करना।

6. <u>ट्रस्ट की प्रबन्ध व्यवस्था:–</u>

(क) <u>ट्रस्ट का गठन एवं संचालन</u> –

ट्रस्ट का गठन एवं संचालन निम्नलिखित रूप से किया जायेगा–

(i) ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी एवं प्रबन्धक हम मुकिर होंगे और ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी को अपने जीवन काल में अगले मुख्य ट्रस्टी को नामित करने का अधिकार होगा, मुख्य ट्रस्टी द्वारा

श्रीमती

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BS 088052

अगले मुख्य ट्रस्टी को वसीयत के माध्यम से नामित करने का अधिकार प्राप्त होगा। हम मुकिरा के न रहने पर हम मुकिरा मुख्य ट्रस्टी के विधिक उत्तराधिकारियों में से ट्रस्ट के लिए हितैषी व योग्य उत्तराधिकारी को मुख्य न्यासी चयनित किया जायेगा।

(ii) मुख्य ट्रस्टी की अनुपस्थिति बीमारी या कार्य करने की अक्षमता की अवस्था में उनके द्वारा निर्धारित ट्रस्टी मुख्य ट्रस्टी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत होगा। किसी ट्रस्टी को अपने व्यक्तिगत कारणों से स्वेच्छया से त्याग पत्र देकर ट्रस्ट से अलग होने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा।

(iii) ट्रस्ट मण्डल के सदस्यों में से ट्रस्टीगण को ट्रस्ट की सुचारू प्रबन्ध व्यवस्था के लिए ट्रस्ट के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की जा सकेगी और इस प्रकार नियुक्त किए गए ट्रस्टियों का कार्य अधिकार निश्चित किया जा सकेगा। ट्रस्ट के उक्त पदाधिकारीयों का निर्धारण ट्रस्ट मण्डल द्वारा अपने में से बहुमत के आधार पर किया जायेगा। ट्रस्ट के पदाधिकारीयों के निवार्चन के मूलतः आम सहमति के आधार पर कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी। यदि किन्ही परिस्थितियों में से ऐसा नही किया जाना सम्भव नही हो सका तो पदाधिकारीयों का निवार्चन मुख्य ट्रस्टी की देख–रेख में कराया जा सकेगा और इस प्रकार से निर्वाचन सम्पन्न किए जाने पर मुख्य ट्रस्टी का निर्णय सभी ट्रस्टियों के लिए मान्य एवं अन्तिम होगा।

(iv) ट्रस्ट मण्डल के किसी भी ट्रस्टी के त्याग पत्र देने अथवा मृत्यु होने पर उनका स्थान रिक्त हो जायेगा और ऐसी स्थिति में हुई रिक्ति की पूर्ति मुख्य ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट के हितैषी किसी अन्य व्यक्ति को नामित करके कर ली जायेगी।

(v) ट्रस्ट मण्डल के किसी सदस्य को उसके द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरित कार्य करने

श्रीमती

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये | FIFTY RUPEES

रु.50 | Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BS 088053

अथवा ट्रस्ट के हितो के विपरित आचारण करने की दशा में ट्रस्ट मण्डल द्वारा उन्हे सामान्य बहुमत से ट्रस्ट से पृथक कर दिया जायेगा और उनके स्थान पर पूर्व में दिए गए प्रावधानों के अनुसार सुयोग्य एवं हितैषी व्यक्ति को ट्रस्ट मण्डल के ट्रस्टी के रूप में समायोजित कर लिया जायेगा। यदि कोई ट्रस्टी उक्त प्रकार से ट्रस्ट से पृथक नही किया जाता है तो ट्रस्ट मण्डल के सदस्य के रूप में आजीवन कार्य करने का अधिकार प्राप्त होगा।

(vi) ट्रस्ट द्वारा संचालित शैक्षिक संस्था व इन्सटीच्यूट के नियामक संस्था या विश्वविद्यालय परिनियमावली के अनुसार उसके प्रबन्ध व्यवस्था के लिये नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत या अनुमोदित कराये गये प्रशासन योजना के प्रावधानों के क्रम में उसकी प्रबन्ध समिति का गठन किया जायेगा।

(vii) ट्रस्ट मण्डल का कोई भी ट्रस्टी किसी भी व्यक्ति या संस्था से यदि कोई व्यक्तिगत लेंन–देन करता है तो ट्रस्ट का इस सम्बन्ध में कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा बल्कि सम्बन्धित ट्रस्टी उसके लिए स्वयं उत्तरदायी होगा।

(viii) ट्रस्ट के कार्यो के लिए मुख्य ट्रस्टी अथवा न्यास मण्डल द्वारा भेजे गये किसी प्रतिनिधि के द्वारा किए गए खर्च व उसके सम्बन्ध में प्रस्तुत व्यय राशि से सम्बन्धित बिलों व बाउचरों को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार मुख्य न्यासी के पास सुरक्षित होगा।

(ख)– <u>ट्रस्ट की बैठक एवं वार्षिक अधिवेशन:–</u>

1. ट्रस्ट मण्डल की वर्ष में एक बार वार्षिक बैठक अवश्य होगी। उक्त वार्षिक बैठक में ट्रस्ट के अधीन संचालित सभी संस्थाओं/समितियों के प्रबन्ध/सचिव व प्राचार्य तथा अन्य

श्रीमिरती

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BS 088054

पदाधिकारीगण भी भाग लेंगें। वार्षिक बैठक सूचना उक्त सभी व्यक्तियों को 15 दिन पूर्व मुख्य ट्रस्टी द्वारा दी जायेगी और उपरोक्त सभी व्यक्तियों का वार्षिक बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। वार्षिक बैठक से अनुपस्थित व बैठक में भाग न लेने वाले सदस्यों की यह अयोग्यता को समझी जायेगी। कोई भी व्यक्ति मुख्य ट्रस्टी की पूर्व अनुमति से ही वार्षिक बैठक से अनुपस्थित हो सकता है।

2. वार्षिक बैठक में ट्रस्ट के साल भर के क्रिया–कलापों पर विचार होगा और आय–व्यय पर विचार कर ट्रस्ट का बजट निर्धारित किया जायेगा। विचारोपरान्त बहुमत से पारित नियम एवं निर्णय पर ट्रस्ट मण्डल का फैसला अन्तिम होगा।

7– <u>मुख्य ट्रस्टी/प्रधान प्रबन्धक के अधिकार एवं कर्तव्य:–</u>

1. इस ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी/ प्रबन्धक के रूप में कार्य करने तथा ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं एवं विद्यालयों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करना।
2. ट्रस्ट से सम्बन्धित प्रत्येक प्रकार के धन को प्राप्त करके उसकी रसीद देना।
3. ट्रस्ट की समस्त कार्यवाही लिखना व अन्य अभिलेखों को तैयार करना/कराना।
4. ट्रस्ट की बैठकों को आमंत्रित करना तथा उसकी सूचना ट्रस्ट मण्डल के सदस्यो को देना तथा ट्रस्ट के वार्षिक बैठक की अध्यक्षता करना।
5. ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना तथा ट्रस्ट के आय–व्यय का हिसाब किताब तथा रिपोर्ट ट्रस्ट मण्डल के समक्ष रखना।
6. ट्रस्ट की ओर से ट्रस्ट की समस्त चल–अचल सम्पत्ति के हस्तानान्तरण व प्राप्ति से संबंधित विलेखों को हस्ताक्षरित करना।
7. ट्रस्ट द्वारा तथा ट्रस्ट के विरूद्ध की जाने वाली विधिक कार्यवाहियों में ट्रस्ट की ओर से

स्मृति

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BS 088055

पैरवी करना तथा अधिवक्ता व मुख्तार नियुक्त करना।

8. ट्रस्ट के हित में आवश्यक होने पर ट्रस्ट मण्डल द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार ट्रस्ट की सम्पत्ति को नियमानुसार हस्तान्ततरित करना व अन्य प्रकार से व्यवस्थित करना।

9. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तथा ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के हित में व्यक्तियों, संस्थाओं, सरकारी, अर्द्ध–सरकारी, गैर सरकारी, विभागों से दान, उपहार, अनुदान, ऋण व अन्य श्रोतों से धन व सम्पत्तियों को प्राप्त करना तथा विभिन्न माध्यमों से ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये खर्च करना।

10. इस ट्रस्ट विलेख द्वारा प्राप्त अन्य अधिकारों का प्रयोग करना तथा ट्रस्ट की मुख्य प्रबन्धक के रूप में ट्रस्ट के हित में अन्य समस्त कार्यों को करना।

11. ट्रस्ट के आय–व्यय का रिपोर्ट तैयार करना तथा ट्रस्ट मण्डल द्वारा अधिकृत लेखा परीक्षक से ट्रस्ट के आय–व्यय का लेखा परीक्षण कराना। ट्रस्ट के वित्त सम्बन्धी लेखों का सुचारू रूप से रख–रखाव करना।

12. ट्रस्ट से संचालित विद्यालयों एवं अन्य संस्थाओं के कार्यों का समय–समय पर निरीक्षण करना ताकि उसके सुचारू व्यवस्था के लिए संस्था के प्रधान व अन्य शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों से अभिलेखों की मांग कर उसका निरीक्षण व जांच करना और आवश्यक होने पर नियमानुसार निर्देश प्रदान करना।

8– <u>ट्रस्ट की कोष की व्यवस्था:–</u>

ट्रस्ट के कोष के सुचारू रख–रखाव एवं उसकी व्यवस्था हेतु किसी राष्ट्रीयकृत/मान्यता प्राप्त अधिसूचित बैंक में ट्रस्ट के नाम खाता खोला जायेगा, जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की धनराशियाँ एवं ऋणराशियाँ निहित होगी। ट्रस्ट के नाम खोले गये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BS 088056

खाते का संचालन मुख्य ट्रस्टी द्वारा अकेले अथवा मुख्य ट्रस्टी द्वारा अधिकृत ट्रस्टी के साथ संयुक्त रूप से किया जायेगा।

9— **ट्रस्ट के अभिलेख:—**

ट्रस्ट के अभिलेखों के तैयार करने/कराने व रख—रखाव का दायित्व मुख्य ट्रस्टी का होगा। मुख्य ट्रस्टी द्वारा प्रमुख रूप से ट्रस्ट के लिए सूचना रजिस्टर कार्यवाही रजिस्टर, सम्पत्ति रजिस्टर व लेखों का रजिस्टर इत्यादि रखा जायेगा।

10— **ट्रस्ट के सम्पत्ति की व्यवस्था:—**

1. ट्रस्ट मण्डल द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों के प्राप्ति हेतु व्यक्तियों वित्तीय संस्थाओं व बैंकों से दान, सहायता या ऋण इत्यादि लिया जा सकेगा और किसी भी उचित व वैधानिक माध्यम से ट्रस्ट की आय बढ़ाया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से दस्तावेज निष्पादित करने के लिये मुख्य ट्रस्टी व एक अन्य ट्रस्टी जिसे कि मुख्य ट्रस्टी उचित समझे अधिकृत होंगे।
2. मुख्य ट्रस्टी ट्रस्ट की तरफ से स्थापित संस्थाओं एवं सीमितियों को संचालित करने के लिये भूमि एवं भवन क्रय कर सकेंगे या किसी चल या अचल सम्पत्तियों के अधिग्रहण के लिए आवश्यक कार्यवाही कर सकेंगे। ट्रस्ट मण्डल ट्रस्ट की सम्पत्ति या सम्पत्तियों को किराया प दे सकेंगा या बेच सकेगा।
3. ट्रस्ट की सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने या दुरूपयों करने वाले को दण्डित करने का अधिकार ट्रस्ट मण्डल को प्राप्त होगा।
4. ट्रस्ट व उसके अधीन संस्थाओं एवं समितियों के अधिकारीयों व कर्मचारियों के विरुद्ध मुख्य ट्रस्टी द्वारा की गयी कार्यवाही की अपील ट्रस्ट मण्डल द्वारा सुनी जायेगी।

सेमिश्ती

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BS 088057

5. ट्रस्ट द्वारा स्थापित व संचालित किसी भी संस्था व विद्यालय प्रबन्धकीय विवाद उत्पन्न होने पर उसके सम्बन्ध में ट्रस्ट मण्डल का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा परन्तु यदि किसी परिस्थितिवश ऐसा नही हो सका तो विवाद के लम्बित रहने के दौरान सम्बन्धित संस्था या विद्यालय का प्रबन्ध व उसकी सम्पत्ति की व्यवस्था ट्रस्ट में निहित रहेगी।

6. ट्रस्ट के आय व्यय व लेखा के परीक्षण हेतु मुख्य ट्रस्टी द्वारा लेखा परीक्षक की नियुक्ति की जा सकेगी।

7. ट्रस्ट द्वारा या ट्रस्ट के विरूद्ध किसी भी वैधानिक कार्यवाही का संचालन ट्रस्ट के नाम से किया जायेगा जिसकी पैरवी ट्रस्ट की ओर से मुख्य ट्रस्टी द्वारा अथवा मुख्य ट्रस्टी की अनुपस्थिति में उनके द्वारा अधिकृत ट्रस्टी द्वारा की जायेगी।

8. ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं एवं गठित समितियों के पदाधिकारियों की नियुक्ति तथा उनके सेवा शर्तो एवं सेवा पुस्तिका का विवरण भी ट्रस्ट मण्डल के अधीन होगा। ट्रस्ट मण्डल बहुमत से स्वयं उन कार्यो को करेगा, अथवा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को इस हेतु नियुक्त करेगा इसके अतिरिक्त ट्रस्ट मण्डल अपने सम्पत्ति के प्रबन्ध एवं प्रतिदिन के कार्य हेतु वैतनिक कर्मचारियों की भी नियुक्ति करेंगा।

9. ट्रस्ट की प्रत्येक प्रकार की सम्पत्ति ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति एवं पूर्ति के लिए ही उपयोग की जायेगी तथा भविष्य में ट्रस्ट द्वारा जो भी सम्पत्ति अर्जित की जायेगी उसके बावत भी यह शर्तें लागू होगी।

श्रीमती

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

भारत

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BS 088058

घोषणा

"चानमती एजूकेशनल ट्रस्ट" की तरफ से हम श्रीमती सितिरती देवी मुख्य न्यासी के रूप में यह घोषित करती हूँ कि उपरोक्त न्यास पत्र लिखवा कर, पढ़ व समझ कर स्वस्थ मन व चित्त से बिना किसी बाहरी दबाव के सोच समझकर इस न्यास पत्र को निबन्ध हेतु प्रस्तुत किया है, जिससे कि इस न्यास का विधिवत गठन हो सकें।

हस्ताक्षर मुख्य न्यासी

हस्ताक्षर साक्षीगण

1. राजकुमार पुत्र श्री रामफेर
[illegible]
[illegible]

2. अमित कुमार शर्मा पुत्र स्व० नर्मदा
राजधानी छावनी टोला
गोरखपुर

दिनांक : 29.06.2018

मजमूनकर्ता:
जय प्रकाश यादव
दस्तावेज लेखक
कलेक्ट्री कचहरी, गोरखपुर

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 237 के पृष्ठ 213 से 252 तक क्रमांक 184 पर दिनाँक 29/06/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

Sl. No.....60.....Rs.....
Jay Prakash Stamp Vender
Licence No-37
Near Registry Office Collectorate
Gorakhpur

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

बी०पी० त्रिपाठी (प्र०)
उप निबंधक : सदर द्वितीय
गोरखपुर